बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–08/2016 103 पटना, दिनांकः 13.03.18

कार्यालय आदेश

श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, मडवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर संप्रति प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, घनश्यामपुर, दरभंगा के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 238 दिनांक 28.01.2016 द्वारा अधिप्राप्ति वर्ष 2012–13 मे धान अधिप्राप्ति में गबन से संबधित आरोपो के लिए निदेशालय के का०आ०सं० 64 सहपठित ज्ञापांक 481 दिनांक 10.03.2016 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच),मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. आरोपी कर्मी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर संचालन पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त निम्न निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया :–

" जिला पदाधिकारी द्वारा इन्हें क्रय केन्द्र प्रभारी बनाया गया था। विभिन्न पैक्सो से क्रय किये गये धान को प्राप्त कर इनफोर्समेन्ट ऑफिसर द्वारा सत्यापित करा कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी। उनके द्वारा यह कह देना की पैक्सों के द्वारा धान क्रय केन्द्र पर उपलब्ध नही होने के कारण धान भौतिक सत्यापन में नहीं पाया गया। स्पष्ट होता है कि विभिन्न पैक्सों से धान अधिप्राप्ति कर मडवन स्थित क्रय केन्द्र पर लाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। यह अपनी जवाबदेही से मुकरना है। अगर मडवन प्रखंड के क्रय केन्द्र पर गोदाम अवस्थित नहीं था, तो वैसी परिस्थिति में बेस गोदाम बनाकर रखना चाहिए था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया।

अतः श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक –सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी मडवन पर लगाए गये आरोप प्रमाणित होते हैं।"

3 संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने का समर्पित जॉच प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 में किये गये प्रावधान के आलोक मे निदेशालय के पत्रांक 2764 दिनांक 12 12..2017 द्वारा श्री अविनाश कुमार से अभ्यावेदन की मॉग की गयी। इनके द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि इनकी नियुक्ति क्रय केन्द्र प्रभारी के रूप मे श्री रमेश पासवान, वस्तु विशेषज्ञ तथा कार्यपालक सहायक के साथ की गयी थी परन्तु उनके द्वारा श्री कुमार को कार्य सम्पादन मे कोई सहयोग नही किया गया। इनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, मडवन, के पत्रांक 04 दिनांक 04.01.2013 द्वारा सभी पैक्स अध्यक्षों की अधिप्राप्ति धान को उनके अधीन गोदाम मे रखा गया था, इसके लिए वे जबावदेह नही हैं।

4. श्री अविनाश कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में अपने को बचाने हेतु दूसरे पर दोष डालने का प्रयास किया गया है। क्रय केन्द्र प्रभारी होने के नाते इनको सभी को साथ लेकर मिल–जुलकर काम करना चाहिए था, जो इनके द्वारा नही किया गया है। इसके साथ ही आरोप से सबधित धान की हुई क्षति /गबन के संबध में

(9)

इनके द्वारा कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया है जिससे यह साबित हो कि ये दोषी नहीं हैं। अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री अविनाश कुमार द्वारा खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में अधिप्राप्ति किए गये धान की मात्रा में से 2918.70 क्विंटल धान क्रय केन्द्र पर नहीं पाया गया । इस धान का मूल्य 1421.00 (एक हजार चार सौ इक्कीस) रूपये प्रति क्विंटल की दर से 41,47,472=70 (इकतालीस लाख सैंतालीस हजार चार सौ बहत्तर रूपये सत्तर पैसे) के क्षति/गबन करने का आरोप इनपर प्रमाणित होता है। यह राशि श्री अविनाश कुमार, प्रखड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है।

5. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अविनाश कुमार पर संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक–सह–धान क्रय केन्द्र प्रभारी, मडवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, घनश्यामपुर, दरभगा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली 2005, के नियम 14 मे किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि को रोकने का दंड अधिरोपित एवं ससूचित किया जाता है।

ह०/–
(पूनम)
निदेशक

ज्ञापाकः–स्था०1/आ०2–08/2016 622 पटना, दिनांक :– 13.03.18

प्रतिलिपिः–

सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2 जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 238 दिनांक 28.01.2016 के आलोक मे सूचनार्थ एव इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आरोपी श्री अविनाश कुमार से क्षति/गबन की राशि की वसूली हेतु विधि सम्मत कार्रवाई करने की कृपा करेगे।

3. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/दरभगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/दरभगा।

5 प्रंखड विकास पदाधिकारी, मड़वन प्रखंड मुजफ्फरपुर/घनश्यामपुर प्रखड, दरभगा।

6 श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7. श्री अविनाश कुमार, प्रखड सख्यिकी पर्यवेक्षक, घनश्यामपुर प्रखंड, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/18
निदेशक